प्रजा परिषद् के जम्मू–कश्मीर आन्दोलन में डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी की भूमिका

संजीव कुमार
शोध छात्र,
एन0ए0एस0 (पी0जी0) कॉलेज, मेरठ, (उत्तर प्रदेश)
ईमेलः *sanjeevauni003@gmail.com*

सारांश

''डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी महान शिक्षाविद्, कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रख्यात बेरिस्टर थे। उन्होंने पं0 प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रजा परिषद् के जम्मू आन्दोलन का समर्थन किया। संभवतः वे पहले राजनेता थे, जिन्होंने सरकार की जम्मू–कश्मीर नीतियों का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया था। जम्मू–कश्मीर की स्थितियों का अवलोकन करने के लिये वे स्वयं वहाँ गये। उन्होंने जम्मू–कश्मीर के विषय में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला एवं उनके सहयोगियों से विस्तृत वार्ता की, उन्होंने पं0 जवाहर लाल नेहरू से भी इस विषय पर बातचीत की। उन्होंने शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को जम्मू–कश्मीर के विषय में पत्र भी लिखे। इस विषय पर संसद में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये और कई सार्वजनिक सभाएं की। इसी विषय को लेकर वे जेल भी गए और नजरबंद कर दिए गए। अंत में सत्याग्रह करते हुए, जम्मू–कश्मीर की धरती पर ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। डॉ0 मुकर्जी के प्रखर राष्ट्रवाद के कारण ही जम्मू–कश्मीर राज्य को भारत से अलग करने और स्वतन्त्र राजनीतिक इकाई बनाने की शेख अब्दुल्ला की सभी षडयंत्रकारी चाले विफल हो पाई।''

मुख्य शब्द–*प्रजा परिषद्, डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, पं0 प्रेमनाथ डोगरा, शेख अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर, पं0 जवाहर लाल नेहरू, जम्मू, जनसंघ, रियासत, बलराज मधोक, आन्दोलन।*

प्रस्तावना

डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी महान शिक्षाविद् एवं प्रखर राष्ट्रवादी थे। वे देश के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आ रहे हिन्दुओं की दुर्दशा से बहुत अधिक दुःखी थे। उन्होंने विस्थापितो के बीच में रहकर इनको लाभान्वित करने वाली कई, योजनायें भी चलाई। प्रधानमन्त्री पं0 जवाहर नेहरू इन विस्थापितो की उपेक्षा कर रहे थे, इससे वे बहुत क्षुब्ध थे, परिणामस्वरूप 6 अप्रैल 1950 को उन्होंने मन्त्री पद से इस्तीफा दे दिया।[1] वे जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रधानमंत्री पं0 नेहरू एवं शेख अब्दुल्ला की भेद–भाव पूर्ण नीति के भी खिलाफ थे। जम्मू में पं0 प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद् नामक राजनैतिक संस्था जम्मू–कश्मीर के निवासियों की वैद्य अधिकार, कश्मीर के भारत में पूर्ण

एकीकरण एवं शेख अब्दुल्ला की भेद–भाव पूर्ण नीतियों के विरोध में लम्बे समय से संघर्ष कर रही थी।

शेख अब्दुल्ला ने जम्मू के लोकप्रिय नेता पं0 प्रेमनाथ डोगरा एवं प्रजा परिषद् के कई कार्यकत्ताओं को बिना किसी अभियोग एवं आरोप के जेल में डाल दिया था। जिसके परिणामस्वरूप पूरे जम्मू में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। प्रजा परिषद् ने कई महीनों तक शेख अब्दुल्ला की सभी जम्मूवासियों और विशेषकर डोगरा लोगों के प्रति भेदभाव तथा नागरिक स्वतन्त्रता को कुचलने की नीतियों की ओर भारत सरकार का ध्यान खींचने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन भारत सरकार से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। निराश होकर उन्होंने शान्ति एवं अहिंसात्मक सत्याग्रह आरम्भ करने का निश्चय किया। इनकी माँग थी कि पं0 प्रेमनाथ डोगरा को जल्द से जल्द मुक्त किया जाये तथा जम्मू के प्रति भेदभावपूर्ण नीतियाँ त्यागी जाये।[2] शेख अब्दुल्ला की सरकार ने इस आन्दोलन को निर्दयतापूर्वक दबाने का पूरा प्रयत्न किया।

इस सत्याग्रह के दौरान ही कुछ प्रतिष्ठित महिलाओं का एक शिष्टमण्डल दिल्ली गया और उसने कुछ संसद सदस्यों और मन्त्रियों से मिलकर उन्हें जम्मू की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने अक्टूबर 1948 ई0 में देश के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी से भी मुलाकात की। वे जम्मू की स्थिति को जानकर बहुत द्रवित हुए, किन्तु उन्होंने इसमें कुछ भी कर सकने की विवशता प्रकट की और उन्हें यह सलाह दी कि वे प्रधानमंत्री से मिले, जिन्होंने कश्मीर समस्या की बागडोर सीधे अपने हाथ में संभाल रखी है।[3]

सन् 1948 ई0 के अन्त में भारत सरकार की मध्यस्थता पर कश्मीर की सरकार ने पं0 प्रेमनाथ डोगरा को जेल से रिहा कर दिया और प्रजा परिषद् को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी साधारण वैधानिक गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। कुछ महीनों के पश्चात ही जम्मू–कश्मीर रियासत के लिए निर्वाचित संविधान सभा बनाने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य भारत में रियासत के विलय का अनुमोदन करना बताया गया। परिणाम स्वरूप प्रजा परिषद् ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन चुनाव अधिकारियों द्वारा बहुत ही मामूली कारणों से प्रजा परिषद् के 59 में से 42 प्रत्याशियों के नामांकन रद् कर दिये। जिससे प्रजा परिषद् के नेता आश्चर्य में पड़ गये। अब वे सोचने लगे कि क्या नेशनल कॉफ्रेंस के प्रति इस पक्षपात के सामने चुनाव लड़ना उचित होगा।[4] पं0 प्रेमनाथ डोगरा भारत सरकार को इस नई परिस्थितियों से अवगत कराने और भारत के जन–नेताओं से इस विषय पर परामर्श लेने के लिए दिल्ली आये। उन्होंने प्रधानमंत्री पं0 नेहरू से मुलाकात करके अपना विषय उनके सामने रखा। लेकिन उन्हें भारत सरकार का रवैया अत्यन्त उदासीन प्रतीत हुआ। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस समय त्याग पत्र देकर सरकार से बाहर निकल आये थे।

प्रोफेसर बलराज मधोक ने जब उन्हें जम्मू–कश्मीर राज्य के हालात और खासकर जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा के निर्वाचन में हो रही गड़बड़ी की जानकारी दी तो उन्होंने उन्हें सुझाव दिया, कि भले ही शेख अब्दुल्ला के साथ उनके मतभेद चल रहे हो लेकिन मतभेदों के बावजूद भी प्रजा परिषद् को चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। उनका मानना था कि विधान मण्डल

ही एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से सरकार को प्रतिकूल नीतियों के दृष्टिकोण से बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए अगर प्रजा परिषद् संविधान सभा का चुनाव लड़ती है और उनका एक भी प्रत्याशी चुनाव जीतकर संविधान सभा में जाता है, तो यह बहुत ही उपयुक्त होगा।[5] लेकिन इससे पहले डॉ0 मुकर्जी का यह महत्वपूर्ण सुझाव पं0 प्रेमनाथ डोगरा तक पहुँच पाता, उन्होंने संविधान सभा के चुनावों के बहिष्कार का निर्णय ले लिया।

इसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव में 75 में से 73 स्थानों पर शेख अब्दुल्ला की पार्टी विजयी रही।[6] जम्मू–कश्मीर राज्य का प्रशासन फिर से शेख अब्दुल्ला के हाथों में आ गया। अब राज्य की विधान सभा में शेख अब्दुल्ला को अपने मनोनीत सदस्य भेजना आसान हो गया जिनमें से कई प्रसिद्ध कम्युनिस्ट एवं पाकिस्तानी भी थे।[7] इससे भारतीय गणतन्त्र के अंतर्गत एक अन्य गणतंत्र बनाए जाने की कोशिश को बहुमत के साथ अमल में लाया जाने लगा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा, प्रो0 बलराज मधोक और उनके अन्य सहयोगी, प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जम्मू–कश्मीर संबन्धी नीतियों से बहुत ही निराश थे। क्योंकि यह राष्ट्र की एकता व अखण्डता के लिये हानिकारक था। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी भी इन हालातों से चिन्तित थे। उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना के अवसर पर अपने अध्यक्षीय भाषण में जम्मू–कश्मीर के विषय में अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने जम्मू–कश्मीर के प्रश्न पर जनमत संग्रह और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप को निराधार बताया। उन्होंने पाक अधिकृत जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे को लेकर भी दुःख व्यक्त किया।[8]

अप्रैल 1952 ई0 में प्रजा परिषद् के नेता पं0 प्रेमनाथ डोगरा दूसरी बार दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। इस सभा का आयोजन भारतीय जनसंघ द्वारा किया गया था।[9] डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी इस समय पश्चिम बंगाल में थे। डॉ0 मुकर्जी 11 मई को दिल्ली आए और 12 मई को पं0 प्रेमनाथ डोगरा से उनकी पहली बार मुलाकात हुई। प्रो0 बलराज मधोक के अनुसार यह बैठक अत्यन्त महत्वपूर्ण थीं, जिसकी पुष्टि आगे चलकर सामने आए परिणामों से भी हो गई। पं0 प्रेमनाथ डोगरा ने डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी को उन परिस्थितियों के बारे में बहुत विस्तार से बताया, जो शेख अब्दुल्ला के सत्ता में आने से पहले घटित हुई और जो उनके सत्ता में आने के बाद पैदा हुई। हालांकि इन सब बातों से सम्बन्धित डॉ0 मुकर्जी को पहले से ही कुछ जानकारी थी। उन्होंने बताया कि कैसे वह (शेख अब्दुल्ला) उनकी सहायता के आश्वासन के बिना जम्मू नहीं आ सकता था। कैसे अब्दुल्ला ने उन पर नेशनल कॉन्फ्रेस में शामिल होने का दबाब बनाया जिसके लिए उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने तक का लालच दिया गया। लेकिन जब उन्होंने अपने जमीर को बेचने और सरकारी प्रलोभनों के आगे झुकने से मना कर दिया तो शेख अब्दुल्ला ने उन्हें किस प्रकार से अपना दुश्मन बना लिया। पं0 प्रेमनाथ डोगरा ने डॉ0 मुकर्जी को यह भी बताया कि प्रजा परिषद् के उस प्रस्ताव को शेख अब्दुल्ला ने किस प्रकार ठुकरा दिया, जिसमें राज्य की सुरक्षा और लोगों की बेहतरी के सुझाव दिये गये थे।[10]

प्रो0 बलराज मधोक के अनुसार डॉ0 मुकर्जी इन सब अज्ञात बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते रहे। अब वे शेख अब्दुल्ला के कथनों के पीछे के उद्देश्य पर चिन्तन करने लगे। उन्होंने

सम्पूर्ण भारत की एकता और अखण्डता के लिए प्रजा परिषद् के रवैये और इसके विस्तृत अनुमान को न्यायोचित पाया। डॉ0 मुकर्जी ने पं0 प्रेमनाथ डोंगरा को भारत सरकार को उसकी नीतियों में परिवर्तन के लिये अपने सुझाव देने का वचन दिया, उन्होंने प्रेमनाथ डोगरा को प्रधानमंत्री पं0 जवाहर नेहरू के समक्ष सभी तथ्य पेश करने की सलाह भी दी।[11] इसके बाद पं0 प्रेमनाथ डोगरा ने प्रधानमंत्री पं0 नेहरू से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनसे मिलने से मना कर दिया।

डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी जब डोगराओं के संघर्ष से सहमत हो गए और जब उन्हें शेख अब्दुल्ला की शैतानी चाल का पता चल गया तो वे तत्काल ही इसे दुरूस्त करने के काम में लग गए। उन्होंने इसकी शुरूआत भारतीय जनसंघ की कार्यकारी परिषद् में 14 जून 1952 को एक प्रस्ताव पारित कराकर देश का मार्ग दर्शन किया। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू–कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ यह घोषणा भी की गई कि निर्वाचित प्रधान और अलग झण्डे के सम्बन्ध में यह निर्णय कि कश्मीर एक स्वशासित गणराज्य होगा, भारतीय की एकता और संविधान पर आघात है। इस प्रस्ताव में भारत की जनता से 29 जून 1952 को ''कश्मीर दिवस'' के रूप में मनाने, जन सभाएं करने एवं प्रदर्शन करने की अपील की गई थी।[12]

''कश्मीर दिवस'' के तीन दिन पहले 26 जून 1952 को डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने लोक सभा में जम्मू–कश्मीर के संबन्ध में अपना प्रथम श्रेष्ठतम भाषण दिया। इस भाषण से पहले उसी दिन दिल्ली की जनता ने संसद के सामने शेख अब्दुल्ला की अलगावादी नीतियों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी अपने भाषण में क्रमशः अलग झण्डे, वंशानुगत महाराज की बजाय राज्य में निर्वाचित प्रधान और अनुच्छेद 370, जिसके बल पर शेख अब्दुल्ला अलग संविधान चाहता था आदि पर अपने विचार व्यक्त किये।[13] जिससे शेख अब्दुल्ला और उसके भारतीय समर्थकों की चालो का पर्दाफाश हो गया।

पं0 प्रेमनाथ डोगरा और डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी की मुलाकात के पश्चात 29 जून 1952 को जनसंघ व उसके सहयोगी दलों ने देश भर में ''जम्मू–कश्मीर दिवस'' मनाया।[14] जनसंघ की दिल्ली ईकाई ने 30 जून से 6 जुलाई तक 'कश्मीर सप्ताह' भी मनाया।

परिणामस्वरूप प्रेस और सभी विचारों के व्यक्तियों ने शेख अब्दुल्ला के वक्तव्यों की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। इससे प्रधानमंत्री पं0 नेहरू का हृदय भी अशान्त हो उठा। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को दिल्ली आने के लिए कहा ताकि वे उसे अपनी मनमानी बन्द करने के लिए समझा सके, किन्तु शेख अब्दुल्ला ने कोई न कोई बहाना बनाकर प्रधानमंत्री पं0 जवाहर नहेरू की प्रार्थना अनसुनी कर दी। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने दिल्ली समझौते की भी तीव्र आलोचना की थी। 7 अगस्त 1952 को उन्होंने इस समझौते पर लोक सभा में अपनी भावनाएँ एवं विचार व्यक्त किये। उन्होंने प्रधानमंत्री पं0 जवाहर नेहरू से पूछा कि–यदि भारत का संविधान देश की सारी रियासतों पर लागू हो सकता है तो जम्मू–कश्मीर रियासत के लिये यह ठीक क्यों नहीं है उन्होनें शेख अब्दुल्ला द्वारा जम्मू–कश्मीर के लिए विशेष व्यवहार की माँग का कड़ा विरोध किया।[15]

9–10 अगस्त 1952 को प्रजा परिषद् ने जम्मू में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया। जिसका उद्देश्य दिल्ली समझौते के विनाशकारी परिणामों से लोगों को अवगत कराना था। इस सम्मेलन में दिल्ली से कई संसद सदस्यों और वरिष्ठ राजनेताओ को आमंत्रित किया गया था। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी को भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 8 अगस्त 1952 को डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी संसद सदस्यों उमाशंकर त्रिवेदी और रामनारायण सिंह एवं पत्रकारों के साथ दिल्ली से जम्मू के लिये रवाना हुए। पं0 प्रेमनाथ डोगरा प्रजा परिषद् के उपाध्यक्ष ठाकुर धनवंतरी सिंह, चतरूराम डोगरा और अन्य प्रजा परिषद् के नेताओं ने पठानकोट रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया।[16] उसी दिन पठानकोट में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने कठुआ में भी एक जनसभा को संबोधित किया इसी जन सभा में उन्होंने कहा था कि हम विधान लेगे या बलिदान देंगे–मैं आपके लिए भारतीय संविधान लूँगा अन्यथा इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूँगा। जम्मू के परेड ग्राउण्ड में उन्होंने एक विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। जिसमें उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकालने की बातों पर जोर दिया यदि ऐसे समाधान नहीं निकलता तो उन्होंने हर प्रकार से प्रजा परिषद् का साथ देने का आश्वासन दिया। इसी जन सभा में उन्होंने एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे के नारे को बुलंद किया। इस तरह उन्होंने प्रजा परिषद् के आन्दोलन का शांतिपूर्ण समाधान व पारस्परिक तालमेल बनाने की दृष्टि से भी सराहनीय प्रयास किया।

इसी दौरान श्रीनगर में उन्होंने जम्मू कश्मीर के सद्र–ए–रियासत कर्ण सिंह से मुलाकात की और जम्मू–कश्मीर की स्थिति के बारे में वार्ता की। 10 अगस्त 1952 को डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने शेख अब्दुल्ला एवं उसके सहयोगी डिप्टी बख्शी गुलाम मौहम्मद से मुलाकात की। उन्होंने दोनों से जम्मू कश्मीर के विषय में लगभग 6 घंटे तक विस्तृत वार्ता की। लेकिन शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगियों के नकारात्मक रवैये के कारण कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकल पाया। दिल्ली आने के तुरन्त बाद ही डॉ0 मुकर्जी ने प्रधानमंत्री पं0 जवाहर नेहरू से मुलाकात की तथा उनसे भी जम्मू–कश्मीर के विषय में लम्बी वार्ता की। उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को आमंत्रित करने और उन्होंने उन्हें जम्मू–कश्मीर राज्य की गैर मुस्लिम जनता की शिकायतों को सुनने की सलाह दी। लेकिन इन सब बातों का कोई परिणाम नहीं निकल सका।

8 नवम्बर 1952 को जालंधर में पं0 प्रेमनाथ डोगरा ने डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी से मुलाकात की। उन्होंने डॉ0 मुकर्जी को राज्य में तेजी से बिगड़ रही स्थिति से अवगत कराया। डॉ0 मुकर्जी ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को अपने समर्थन का आश्वासन दिया। कोई समाधान न निकलता देख 23 नवम्बर 1952 को प्रजा परिषद् ने जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण सत्याग्रह शुरू कर दिया था। इस सत्याग्रह को डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी एवं उनके दल जनसंघ का समर्थन प्राप्त था। प्रजा परिषद् ने जनसंघ एवं सहयोगी दलों द्वारा एक बार फिर दिल्ली में 14 दिसम्बर 1952 को 'जम्मू–कश्मीर दिवस' मनाया।

29–31 दिसम्बर 1952 को कानपुर में हुए जनसंघ के पहले वार्षिक आधिवेशन में भी

डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने प्रजा परिषद् के आन्दोलन का समर्थन किया।[17] उन्होंने जम्मू जाकर वहाँ की परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिये 1 जनवरी 1953 को सात प्रतिनिधियों के एक शिष्ट मण्डल की घोषणा की, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रतिनिधिमण्डल को अनुमति देने से मना कर दिया। जनवरी–फरवरी 1953 ई0 के मध्य पं0 नेहरू और शेख अब्दुल्ला के साथ जम्मू के डोगराओं की स्थिति के विषय में चर्चा के लिए उन्होंने त्रि–पक्षीय पत्रों का आदान प्रदान किया। लेकिन यह सब पूरी तरह से व्यर्थ सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने जम्मू–कश्मीर की रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।

जम्मू में बढ़ते हुए दमन चक्र का विरोध करने और स्वतंत्र भाव से परस्पर मिलने जुलने तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लोकतान्त्रिक अधिकार की रक्षा की लोकेच्छा का प्रर्दशन करने के लिए डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने 5 मार्च 1953 को पूरे देश में 'जम्मू–कश्मीर दिवस' मनाने का आह्वान किया।[18] परिणामस्वरूप भारतीय जनसंघ एवं सहयोगी दलों ने 5 मार्च 1953 को ''जम्मू–कश्मीर दिवस'' मनाया। अगले दिन 6 मार्च 1953 को स्वामी करपात्री जी की अध्यक्षता में दिल्ली के क्वीन्स गार्डन में जन सभा का आयोजन किया गया। डॉ0 मुकर्जी के अलावा पंण्डित मौली चन्द शर्मा, निर्मलचन्द्र चटर्जी एवं स्वामी करपात्री जी ने जन सभा को सम्बोधित किया। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, नन्दलाल शास्त्री और एन0सी0 चटर्जी को निषेधज्ञा के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली के चांदनी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बन्दी प्रत्यीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च को डॉ0 मुकर्जी एवं वैध गुरूदत्त व अन्य संसद सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अधीन निजी बॉण्ड पर जमानत दे दी।[19] इस समय तक जम्मू–कश्मीर सत्याग्रह की आवाज पूरे देश में सुनाई देने लगी।

डॉ0 मुकर्जी ने जम्मू–कश्मीर के विषय में प्रजा परिषद् के आन्दोलन के पक्ष में प्रचार करने के उद्देश्य से देश के कई स्थानों का दौरा किया। उन्होंने प्रजा परिषद् के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति का न्यायसंगत समाधान निकालने के उद्देश्य से जम्मू जाने का निर्णय किया। वे 8 मई 1953 को दिल्ली से जम्मू के लिए रवाना हुए, इसके लिए उन्होंने सरकार से अनुमति नहीं ली।[20] वे दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पानीपत, करनाल, अम्बाला, जालन्धर, अमष्तसर, पठानकोट होते हुए जम्मू की सीमा तक पहुंच गये। रास्ते में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। 11 मई 1953 को जम्मू में प्रवेश करते समय कश्मीर पुलिस द्वारा रावी नदी पर बने माधोपुर पुल पर उन्हें जनसुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनके साथ 7 अन्य साथी भी थे। उन्हें इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जो कार्य किया है, कर रहे हैं, और करने वाले हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।[21] प्रसिद्ध चिकित्सक व लेखक वैद्य गुरूदत्त, और टेकचन्द्र शर्मा को वे अपने साथ ले गये। मगर ऐसे समय में उन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी और अन्य साथियों को वापिस भेज दिया। उन्होंने अटल बिजारी बाजपेयी और बाकी साथियों से कहा कि पूरे देश को यह बताये कि मैंने एक कैदी के रूप में जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रवेश कर लिया है और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे काम

को बाकी लोग आगे बढ़ाये। उन्हें एक बंद जीप से श्रीनगर के समीप निशांत बाग में एक कॉटेज (उप जेल) में रखा गया, और वहीं कैद कर दिया गया। यह उनके द्वारा राष्ट्रहित में किये जा रहे कार्यों का परिणाम था। बाद में शेख अब्दुल्ला सरकार ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भी 19 जून 1953 को उसी कॉटेज में नजरबंद कर दिया था। उन्हें विशेष रूप से मकान में बाहर ढलाव पर एक तंबू में रखा गया था। डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी श्रीनगर की इस उप जेल में 6 सप्ताह तक अपने दोनों साथियों सहित नजरबंद रहे।[22] श्रीनगर में नजरबंदी के दौरान ही 23 जून, 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना जब उनके कैदी साथियों को दी गई तो वे यह सुनकर स्तब्ध रह गये।

यह सही है कि डॉ0 मुकर्जी ने जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रवेश बिना परमिट के किया था लेकिन परमिट की व्यवस्था जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई थी, बल्कि यह व्यवस्था पाकिस्तानी कबाइलियों के आक्रमण के बाद सुरक्षा कारणों से संदिग्ध व्यक्तियों का जम्मू–कश्मीर में प्रवेश रोकने के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके बावजूद भी भारत सरकार ने उन्हें जम्मू–कश्मीर राज्य में प्रवेश करने से रोकने के लिए कोई प्रयास तक नहीं किया।

प्रजा परिषद् के आन्दोलन को सफल बनाने के लिये डॉ0 मुकर्जी ने अपने प्राणों की आहूति दे दी, उनके प्रखर राष्ट्रवाद के कारण ही जम्मू–कश्मीर राज्य को भारत से अलग करने और स्वतन्त्र राजनीतिक इकाई बनाने की शेख अब्दुल्ला की सभी षडयंत्रकारी चाले विफल हो गई। डॉ0 मुकर्जी के बलिदान के परिणामस्वरूप सरकार को एकीकरण की दिशा में कई कदम उठाने पड़े। जम्मू–कश्मीर के सद्र–ए–रियासत कर्ण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और उसे जेल में डाल दिया। डॉ0 मुकर्जी की शहादत के परिणमस्वरूप जम्मू–कश्मीर की संविधान सभा ने जम्मू–कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि कर दी और जम्मू–कश्मीर में लागू परमिट पद्धति को समाप्त कर दिया। वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी सहित उन सभी महान आत्माओं को सच्ची श्रद्धाजंलि है जिन्होंने जम्मू–कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिये संघर्ष किया।

संदर्भ ग्रंथ

1. राय तथागत–*अप्रतिम नायक* डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2013, पृ0 **259**।
2. मधोक प्रो0 बलराज–*अमर शहीद,* डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, दिनमान, प्रकाशन, दिल्ली संस्करण 2014, पृ0 **127, 128**।
3. वही., पृ0 **128**
4. वही., पष0 **128**
5. मधोक प्रो0 बलराज–*पोट्रेट ऑफ ए मार्टयेर : बायोग्राफी ऑफ डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी* : जयको प्रकाशन बम्बई, 1969 पृ0 **147**।

6. *कोहली ऋतु*–डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी और कश्मीर समस्या, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 **237**।
7. मधोक प्रो0 बलराज–*अमर शहीद,* डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, दिनमान प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2014, पृ0 **129**।
8. भारतीय जनसंघ–पार्टी दस्तावेज, डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी का 21 अक्टूबर 1951 नई दिल्ली का अध्यक्षीय भाषण, पृ0 **6**।
9. ऑर्गेनाइजर, 28 अप्रैल, 1952।
10. मधोक प्रो0 बलराज–**अमर शहीद** *डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी,* दिनमान प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2014, पृ0 **132**।
11. मधोक प्रो0 बलराज–*डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी : ए बायोग्राफी,* दीपक प्रकाशन, नई दिल्ली, 1954, पृ0 **140**।
12. भारतीय जनसंघ–पार्टी दस्तावेज खण्ड 4, भारतीय जनसंघ की केन्द्रीय समिति का 14 जून 1952 का प्रस्ताव, पष्0 **105, 106**।
13. लोक सभा वाद–विवाद, 26 जून 1952, कॉलम 1892–99।
14. मधोक प्रो0 बलराज–*अमर शहीद डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी,* दिनमान प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2014, पृ0 **135**।
15. लोक सभा वाद–विवाद, 7 अगस्त 1952, कॉलम 4571।
16. हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, 9 अगस्त 1952।
17. भारतीय जनसंघ–पार्टी दस्तावेज भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन कानपुर, दिसम्बर 1952, पष्0 **16**।
18. मधोक प्रो0 बलराज–*अमर शहीद डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी* दिनमान प्रकाशन दिल्ली, संस्करण 2014, पृ0 **132**।
19. वही, पष्0 **189**।
20. गुरूदत्त श्री–*डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी की अन्तिम यात्रा,* हिन्दी साहित्य सदन नई दिल्ली, पृ0 **21, 22**।
21. मुखर्जी उमा प्रसाद–*डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, हिज डेथ इन डिटेंशन* : ए केश ऑफ इनक्वायरी, कलकत्ता : *ए मुखर्जी एण्ड कंपनी,* 1953, पृ0 **3**।
22. गुरूदत्त श्री, *डॉ0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी की अन्तिम यात्रा, हि*न्दी साहित्य सदन नई दिल्ली, पृ0 **33**।